



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 03, 2019/ज्येष्ठ 13, 1941

No. 183]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 03, 2019/JYAISTHA 13, 1941

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, 25 मई, 2019

अधिसूचना

अर्थसुलभ आस्तियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना

सं. रा.आ.बैंक.आ.वि.कं.एलए-2/एमडीएंडसीईओ/2019.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 29ख की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 35ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 27 सितंबर, 2001 के पूर्व की अधिसूचना सं. रा.आ.बैंक.आ.वि.कं.एलए-1/सीएमडी-2001 के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा घोषित किया कि तथापि निम्न के अधीन, कथोक्त अधिनियम की धारा 29ख की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान आवास वित्त कंपनियों पर लागू नहीं होंगे

(क) प्रत्येक सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी को

(1) भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में भारत में निवेश करना होगा और निरंतर करते रहना होगा जहां ऐसे प्रतिभूतियों का मूल्य मौजूदा बाजार कीमत से कम हो और राशि दूसरे पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर कारोबार की समाप्ति पर सार्वजनिक जमा बकाया का साढ़े छह प्रतिशत से कम हो।

(2) सावधि जमा या जमा प्रमाणपत्र (प्रभार या धारणाधिकार मुक्त) में या राष्ट्रीय आवास बैंक में जमा या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बॉण्ड को अभिदत्त करने के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में, या आंशिक तौर पर एक ऐसे खाते या ऐसी जमा में या आंशिक तौर पर ऐसे अभिदान के द्वारा भारत में रखना होगा जहां राशि खंड (1) के अंतर्गत किए गए निवेश के साथ किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर सार्वजनिक जमा बकाया का तेरह प्रतिशत से कम नहीं हो।

(ख) धारा 29ख के सभी अन्य प्रावधान यथोचित परिवर्तन सहित उपरोक्त अपेक्षा पर लागू होंगे यदि "सार्वजनिक जमा" कथोक्त प्रावधान के अंतर्गत परिकल्पित "जमा" के समान हों।

स्पष्टीकरण:

"सार्वजनिक जमा" समय-समय पर यथा संशोधित आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 2(1) (वाई) के अंतर्गत यथा परिभाषित अर्थ के समान होगा।

दक्षिता दास, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./69/19]

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 25th May, 2019

NOTIFICATION

Maintenance of a minimum percentage of liquid assets

No.NHB.HFC.LA-2/MD&CEO/2019.—In exercise of the powers conferred under Section 35B read with sub-sections (1) and (2) of Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and in supersession of the earlier Notification No. NHB.HFC.LA-1/CMD-2001 dated 27th September 2001, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary so to do, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 29B of the said Act shall not apply to housing finance companies, subject however that—

(A) Every housing finance company accepting public deposits shall

(1) invest and continue to invest in India in unencumbered approved securities, valued at a price not exceeding the current market price of such securities, an amount which, at the close of business on any day, shall not be less than six and a half per cent of the public deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding quarter.

(2) maintain in India in an account with a scheduled bank in term deposits or certificate of deposits (free of charge or lien) or in deposits with the National Housing Bank or by way of subscription to the bonds issued by the National Housing Bank, or partly in such an account or in such deposit or partly by way of such subscription, a sum which, at the close of business on any day, together with the investment made under clause (1) shall not be less than thirteen per cent of the public deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding quarter

(B) All other provisions of Section 29B shall *mutatis mutandis* be applicable to the above requirement as if the expression “public deposit” is the same as the expression “deposit” as contemplated under the said provision.

Explanation:

“Public deposit” shall have the same meaning as defined under paragraph 2(1) (y) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010, as amended from time to time.

DAKSHITA DAS, Managing Director & Chief Executive Officer

[Advt.-III/4/Exty./69/19]